

२२/१२  
२५

प्राची अधिवक्ता उपस्थित। अप्राची अधिवक्ता द्वारा जवाब प्राची पत्र पेश किया। सामिल प्रिन्सल रहे। प्राची अधिवक्ता द्वारा प्राची पत्र आदेश २२ नियम ५८८ पेश किया। बकल अप्राची अधिवक्ता को दिलाई गई। अप्राची अधिवक्ता द्वारा प्राची पत्र पर अनापत्ति जातिर की। लिहाजा प्राची का प्राची पत्र आदेश २२ नियम ५८८ स्वीकार किया जाता है। संशोधित शीषक सामिल प्रिन्सल रहे। बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्राची का प्राची पत्र अन्तगति धारा २।२ RTA भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थाची विधेधाना दिनांक २५/११/२०२५ मूलवाद के निर्णय तक स्थाची की जाती है। पत्रावली निर्णय लेकर मूलवाद के साथ संलग्न है।



सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकृष्णपुर (श्रीमंगलगढ़)